

कंडिका-26

**वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG./Others/28963/2017

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वनमंडल जगदलपुर
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	9.800 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	बस्तर वनमंडल के अन्तर्गत चित्रकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि आवेदक अधिशासी निदेशक एन. एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
(vi) हरियाली का घनत्व	Open Forest
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	संलग्न है।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	—
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्रा, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है। संलग्न है। संलग्न है। संलग्न है। संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.000 हे. कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है

12. विभाग/जिला प्रोफाइल	4091.000 वर्ग कि०मी०
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	आरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी.
(ii) जिले का वनक्षेत्र	संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी.
	असीमांकित संरक्षित वन — 466.720 वर्ग कि.मी.
	2211.807 वर्ग कि.मी.
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना — 595.630 हे.
	प्र०म०ग्र०स०यो० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली, इरपा — 2.400 हे. बी०आर०ओ० सडक चौडीकरण —37.031 हे. सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 हे.
	रेल लाईन निर्माण —10.763 हे.
	भोण्ड जलाशय — 0.630 हे.
	पीठापुर जलाशय — 7.860 हे.
	तारापुर जलाशय —19.448 हे.
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास —132.598 हे.
	पुलिस चौकी निर्माण —0.900 हे.
	पानी पाईप लाईन निर्माण —25.720 हे.
	विद्युत लाईन निर्माण —4.712 हे.
	जल विद्युत परियोजना —19.718 हे.
	कार्यालय भवन एवं आवासीय —0.232 हे.
	भवन निर्माण हेतु (राजस्व वन भूमि)
	पुलिस चौकी निर्माण —1.000 हे.
	कैम्प मुख्यालय स्थापना —1.000 हे.
	बटालियन मुख्यालय स्थापना —2.000 हे.
	220/132/33 के.व्ही. विद्युत
	उपकेन्द्र स्थापित —2.680 हे.
	ईमली, महुआ बीज प्रसंस्करण
	केन्द्र स्थापना —0.405 हे.
	केरिपुबल कैम्प स्थापना —0.740 हे.
	योग 867.156 हे

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर (v) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं। नहीं वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 हे० आर.डी.एफ — 6200.000 हे० योग — 11835.000 हे० 30.00 हेक्टेयर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक से ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाययेगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। अतः वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक:- 24/2/2023

स्थान:- जगदलपुर

Dahy
वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर